



क्रमांक: एफ 21(31)ग्रावि/नरेंगा/टेण्डर/पार्ट-3/2017/02602 / 943 जयपुर, दिनांक: 3.6.2025

संशोधित कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2(64)/आरडी/नरेंगा/2009-10 दिनांक 08.02.2010 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-98 तथा धारा 100, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-18 एवं राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 के बिन्दु संख्या-6 अंतर्गत योजना के प्रभावी एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर पांच सदस्यीय 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्थायी समिति' (जिसे संक्षेप में 'नरेंगा स्थायी समिति' कहा जायेगा) का गठन किया गया था।

उक्त समिति में शामिल सदस्यों में बिन्दु संख्या (v) पर अंकित "ग्राम रोजगार सहायक" के स्थान पर "ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ सहायक/वरिष्ठ सहायक" प्रतिस्थापित किया जाता है।

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(श्रेया गुहा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस, जयपुर।
8. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
10. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस मुख्यालय।
11. अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) एवं कार्यालयाध्यक्ष, ईजीएस, मुख्यालय।
12. शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग।
13. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस, मुख्यालय।
14. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस, मुख्यालय।
15. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
16. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस, मुख्यालय।
17. परियोजना अधिकारी (लेखा), समस्त जिला परिषद राजस्थान।
18. परियोजना अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी, ईजीएस, मुख्यालय।
19. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस, पंचायत समिति समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत समिति के समस्त सदस्यों को सूचित करना सुनिश्चित करें।
20. अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता, जिला परिषद/पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
21. प्रोग्रामिंग सहायक, ईजीएस को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
22. रक्षित पत्रावली।

जुगल किशोर मीणा
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस
शासन सचिवालय, जयपुर